

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला श्रीगंगानगर

रोहिताश

बनाम

राजो सरकार

प्रकरण सं० - 2021/ 968

(Civil)

अन्तर्गत धारा- 136 एल.आर.एक्ट

12.11.2021 प्रार्थी रोहिताश पुत्र साधुराम जाति कुम्हार साकिन 8 एमएलजी लालगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पिता के नाम से जमाबन्दी में दर्ज चक 3 एमजीएम के प० नं० 75/20 के किला नं० 1 ता 4, 6 ता 25 की 24-00 बीघा कमाण्ड/अ०क० रकबा की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करवाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मुताबिक जमाबन्दी चक 3 एमजीएम के प० नं० 75/20 के किला नं० 1 ता 4, 6 ता 25 की 5.882 हे० कमाण्ड/अ०क० (4.238 क०, 1.644 अ०क०) रकबा चावलीदेवी पत्नी साधुराम हि० 1961/5882, रामकिशन पुत्र साधुराम हि० 980/2941, रोहिताश पुत्र साधुराम हि० 1961/5882 जाति कुम्हार साकिन लालगढ़ गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिकॉर्ड उक्त रकबा पर किसी भी न्यायालय का स्थगन/विवाद दर्ज नहीं है। आवंटन आदेश की प्रमाणित चित्रप्रति अनुसार चक 3 एमजीएम के मु० नं० 75/20 के किला नं० 1 ता 4, 6 ता 25 की 24-00 बीघा रकबा साधुराम पुत्र नन्दराम कुम्हार साकिन लालगढ़ तहसील सादुलशहर को दिनांक 26.06.1976 को रूप्ये 28350/-में आवंटित हुई। सेल रजिस्टर अनुसार समस्त किश्त आवंटन आदेशानुसार जमा है। सीएडी रिपोर्ट कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड छतरगढ़ के क्रमांक 4717 दिनांक 28.10.2020 के अनुसार चक 3 एमजीएम के प० नं० 75/20 की स्वीकृत स्कीम 1987 से लागू है। स्वीकृत स्कीम के अनुसार मु० नं० 75/20 के किला नं० 1 ता 3, 4/0.25, 6/0.25, 7 ता 25 की 22.50 बीघा कमाण्ड है एवं किला नं० 4/0.75, 6/0.75 की 1.50 अ०क० है। प्रार्थी सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि व बकाया किश्त जमा करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद करवाना चाहता है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है। 6-ए व वनविभाग से प्रभावित नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसमें प्रार्थी द्वारा अपनी कृषि भूमि की सीएडी सर्वे अनुसार अन्तर राशि जमा करवाकर जमाबन्दी में सीएडी अनुसार दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार घड़साना से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है उक्त भूमि पर कोई स्थगन/विवाद नहीं है। प्रार्थी की भूमि सीएडी में अ०क० से कमाण्ड हो चुकी है। अतः यदि किसी न्यायालय में स्थगन/विवाद ना हो तो नियमानुसार जांचकर प्रार्थी से सीएडी सर्वे अनुसार नियमानुसार अन्तर राशि जमा करवाकर सीएडी सर्वे अनुसार जमाबन्दी में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार घड़साना को पालना के लिए पत्र जारी हो। पत्रावली बाद तुरतीब होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)

उपखण्ड अधिकारी  
घड़साना